न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA015 Jora Vs Hadmanram n Ors

1. जोरा पुत्र चौथाराम विश्नोई
2. पांचा पुत्र चौथाराम विश्नोई
3. मांगीया पुत्र मंगला विश्नोई
4. जगमाल पुत्र छोगाराम विश्नोई
5. हीरा पुत्र छोगाराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम केलनसर,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. हडमानराम पुत्र रुगनाथराम विश्नोई
2. हरचन्दराम पुत्र रुगनाथराम विश्नोई
3. बाबूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र रुगनाथराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम केलनसर, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर.

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 16 जनवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 226/2013 हडमानराम बनाम जोराराम आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर, 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2013 हडमानराम बनाम जोराराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2018 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 जनवरी 2018 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ आराजी खसरा संख्या 333 रकबा 280 बीघा 08 विस्वा वाके मौजा केलनसर तहसील फलोदी पैतृक सम्पत्ति होकर वादीगण को उत्तरोत्तर विरासत में प्राप्त होना माना जाकर तदनुसार वादीगण-रेस्पो. को वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं विभाजन के गलत नामान्तरकरण संख्या 13 अथवा 1/142 ग्राम केलनसर को निरस्त किये जाने और वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को तलब किया गया। दिनांक 12 मार्च 2015 को प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग दी, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वास्ते जबाब प्रतिवादी लम्बित चलने के दौरान दिनांक 14 जुलाई 2016 प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन के खिलाफ अनुपस्थिति के कारण इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये और मिसल वादीगण की साक्ष्य हेतु आईन्दा पेशी नियत की गयी। वादी की साक्ष्य में प्रकरण चलने के दौरान प्रतिवादी-पक्ष की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया गया, जो दिनांक 23 मार्च 2017 को आंशिक स्वीकार करते

हुए प्रतिवादीगण को वाद की आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेने हेतु अनुमति दी गयी। इसके बाद दिनांक 08 जनवरी 2018 को मामले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयीं। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जबाब पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिस वजह से वादीगण-रेस्पो. द्वारा वाद में वर्णित किये गये गलत तथ्यों का समुचित ढंग से खण्डन करते हुए वस्तुस्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं की जा सकी थी। अधीनस्थ न्यायालय में यदि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को जबाव का अवसर दिया जाता तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह वस्तुस्थिति प्रकट हो जाती कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान से है और पैतृक सम्पत्ति में विरासत के आधार पर वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी हक-हिस्सा बनता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कब्जे के अभाव में किया है, जो चलने योग्य ही नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 333 रकबा 289 बीघा 18 बिस्वा रुगनाथ पुत्र जीवन के नाम दर्ज हुई। वादीगण उक्त रुगनाथ के पुत्र है, म्युटेशन संख्या 13/142 बंटवारा अलग से किया जाना बताया जाकर भरा गया, मगर बंटवारे का कोई आधार, आदेश, कारण आदि न तो उपलब्ध है और न ही किसी भी स्तर पर बताया गया है। विधि के अनुसार बंटवारा सहखातेदारान के अलावा अन्य

किसी के मध्य हो ही नहीं सकता है। प्रकरण जब न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष विचाराधीन था, तब 2011 में सभी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हो चुका था, दिनांक 17 अप्रेल 2013 तक पत्रावली जबाब हेतु लम्बित रही, तब "ऑन कॉस्ट" अवसर दिया गया, मगर फिर भी जबाब पेश नहीं किया गया। इसके बाद 18 जून 2013 की आदेशिका अनुसार "... स्वत जबाब का अवसर बंद समझा जावेगा..."। अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि सीपीसी में 90 दिवस की अवधि में जबाब पेश करने का प्रावधान है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में दावा करीब 7 साल विचाराधीन रहा और प्रतिवादीगण कह रहे है कि उन्हें जवाबदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का रवैया वाद में सदैव प्रमाद और लापरवाही का ही रहा है। अतः अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2008(1) आरआरटी 286 एससी, 2007(1) आरआरटी 385 एचसी, 2003 आरआरटी 150 एचसी, 2013(2) आरआरटी 1164 आरबी, 2013(2) आरआरटी 1422 आरबी की नजीरें प्रस्तुत की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में वादीगण-रेस्पो. का दावा वादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत तीन गवाहों - गवाह पीडब्ल्यु एक हडमानराम पुत्र रूगनाथराम आयु 65 साल, गवाह पीडब्ल्यु दो रामलाल पुत्र रूगनाथराम आयु 74 साल, गवाह पीडब्ल्यु तीन पांचाराम पुत्र हम्मीराराम विश्नोई आयु 57 साल की मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण-रेस्पो. के इन अभिकथनों पर ***"... दिनांक 29 अप्रेल 1973 को***

तत्कालीन पटवारी हळका से मिलाक्ट कर 4/- रु. के स्टाम्प पर दिनांक 26 अप्रेल 1973 का **फर्जी कूटरचित बंटवाडा बताकर ..... राजस्व निरीक्षक से मिलावट** कर ....." विश्वास करते हुए दावा स्वीकार किया है।

जो नजीरें अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2008(1) आरआरटी 286 एससी, 2007(1) आरआरटी 385 एचसी, 2003 आरआरटी 150 एचसी के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने की बजाय स्वयं साक्ष्य सबूत का विश्लेषण कर निर्णय पारित करने का अधिकार है। यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय की राय में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अदालत हाजा इन नजीरों का सम्मान करती है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखका अवलोकन किया। प्रथमतः तथाकथित बंटवाडा विधिसम्मतः ही नहीं है, क्योंकि बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य ही हो सकता है। विवादित आराजी का तत्समय एकमात्र अभिलिखित खातेदार रुगनाथ ही था। द्वितीय, इस बंटवारे बाबत किसी भी प्रकार की लिखित साक्ष्य या अभिलेख नहीं है। बिना किसी सक्षम आदेश, निर्णय, विधिक लिखत, लेख्य पत्र के नामान्तरकरण भरा नहीं जा सकता। विधि की दृष्टि में खातेदारी अधिकारों का अन्तरण अभिलिखित खातेदार द्वारा किये जाने के फलस्वरूप ही नामान्तरकरण की कार्यवाही हो सकती है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्वोक्त नामान्तरकरण भरे जाने का कोई आधार या कारण ही नहीं है। ऐसे नामान्तरकरण को वैध नही ठहराया जा सकता और इसलिए इसकी विधि की दृष्टि में कोई वैधानिकता नहीं है। यह प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी कागज मात्र है। विवादित भूमि का विधिक रूप से अन्तरण नहीं होने से अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत ये नजीरें इस अपील में स्पष्ट मार्गदर्शन करती है।

अन्य दों नजीरों 2013(2) आरआरटी 1164 आरवी, 2013(2) आरआरटी 1422 आरवी में यह धारित किया गया है कि मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते है। यह नजीरें इस प्रकरण में पूर्णत लागू होती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित, नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप एंव विधिसम्मतः तथा समर्थन किये जाने योग्य पाये जाते है। आलौच्य अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है, अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2018 यथावत रखे जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान वारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

तइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. जोरा पुत्र चौथाराम विश्नोई 2. पांचा पुत्र चौथाराम विश्नोई 3. मांगीया पुत्र मंगला विश्नोई 4. जगमाल पुत्र छोगाराम विश्नोई 5. हीरा पुत्र छोगाराम विश्नोई निवासीगण ग्राम केलनसर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर	ब ना म	1. हडमानराम पुत्र रुगनाथराम विश्नोई 2. हरचन्दराम पुत्र रुगनाथराम विश्नोई 3. बाबूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र रुगनाथराम विश्नोई निवासीगण ग्राम केलनसर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 16 जनवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 226/2013 हडमानराम बनाम जोराराम आदि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 08 नवम्बर 2019 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित, नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरुप एंव विधिसम्मतः तथा समर्थन किंये जाने योग्य पाये जाते है। आलौच्य अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है, अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2018 यथावत रखे जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुवलिग ---/---) रुपये ---/------ अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---/------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 08 नवम्बर 2019 को जारी किया गया।

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान		1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

2/11/19

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर.